



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 669]
No. 669]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 23, 2009/अग्रहायण 2, 1931
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 23, 2009/AGRAHAYANA 2, 1931

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2009

सा.का.नि. 835(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

- (1) इस आदेश का नाम, विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) संशोधन आदेश, 2009 है।
 - (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
2. विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 में अनुसूची में क्रम संख्या 14 तथा इससे संबंधित प्रविष्टि को हटा दिया जाएगा।

[फा. सं. पी-11013/3/2007-डिस्ट.]

अपूर्व चन्द्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) दिनांक 5 जून, 2000 के संख्या सा.का.नि. 519(अ) के द्वारा प्रकाशित किया गया था और दिनांक 30 जून, 2000 के सा.का.नि. 576(अ), दिनांक 30 जून, 2000 के सा.का.नि. 578(अ), दिनांक 21 नवम्बर, 2001 के सा.का.नि. 856(अ), दिनांक 2 जुलाई, 2002 के सा.का.नि. 470(अ), दिनांक 4 जुलाई, 2006 के सा.का.नि. 404(अ), दिनांक 7 दिसम्बर, 2006 के सा.का.नि. 743(अ), दिनांक 1 नवम्बर, 2007 के सा.का.नि. 689(अ), दिनांक 29 मई, 2009 के सा.का.नि. 382(अ) के द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

ORDER

New Delhi, the 19th November, 2009

G.S.R. 835(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of use in Automobiles) Order, 2000, namely :—

1. (1) This Order may be called the Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of use in Automobiles) Amendment Order, 2009.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of use in Automobiles) Order, 2000, in the Schedule, serial number 14 and the entry relating thereto, shall be omitted.

[F. No. P-11013/3/2007-Dist]

APURVA CHANDRA, Jt. Secy.

Note : The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 519(E), dated 5th June, 2000 and amended *vide* G.S.R. 576(E), dated 30th June, 2000, G.S.R. 578(E), dated 30th June, 2000, G.S.R. 856(E), dated 21st November, 2001, G.S.R. 470(E), dated 2nd July, 2002, G.S.R. 404(E), dated 4th July, 2006, G.S.R. 743 (E), dated 7th December, 2006, G.S.R. 689 (E), dated 1st November, 2007 and G.S.R. 382(E), dated 29th May, 2009.